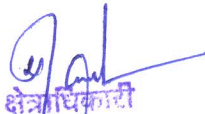


परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार हेतु 0.140 हे० सिविल भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.170 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में 1 है० से कम भूमि हस्तान्तरण होना हैं। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि नहीं ली जानी है, अपितु 10 गुना वृक्षों को रोपित किया जाएगा, जो ~~इस पथ~~ ^{कर्णप्रयाग - नौटी मोटर मार्ग} के किनारे पर प्रस्तावित है। इस हेतु क्षेत्र उपयुक्त हैं।


वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गौधर)

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी